मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–3

कं/ आयु.स्वा./2020/384 भोपाल दिनांक 12.05.2020

प्रति,

1. कलेक्टर, (समस्त)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :– कोविड–19 के टेस्ट के लिये प्राइवेट लैब को भुगतान करने के संबंध में।
संदर्भ :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का पत्र दिनांक 24.04.2020.

उपरोक्त संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से कोविड–19 के टेस्ट के लिये प्राइवेट लैब को भुगतान करने के लिये दरों का निर्धारण किया गया था। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्राइवेट लैब्स द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एफ.एम.आर कोड B 31.1 के अंतर्गत किया जाये। भुगतान के पूर्व प्राइवेट लैब से प्राप्त देयकों का सत्यापन अनिवार्यतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाये।

2. भुगतान हेतु ई–वित्त में प्रत्येक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आबंटन एफ.एम.आर कोड B 31.1 में पूर्व से प्रदाय किया गया है। भुगतान हेतु देयक ई–वित्त के माध्यम से संबंधित जिलें के जिला लेखा प्रबंधक द्वारा तैयार किये जायेंगे।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कं/ आयु.स्वा./2020/385 भोपाल दिनांक 12.05.2020
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा
7. संभागीय आयुक्त,(समस्त)
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक (समस्त)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक

भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. संभागायुक्त, (समस्त)
2. जिला कलेक्टर, (समस्त)
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त)
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, (समस्त)

विषय:- कोविड-19 संक्रमण की निजी क्षेत्र में टेस्टिंग की स्वीकृति दिये जाने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाये जाने के लिए तथा जिलों में टेस्टिंग हेतु लिये गये सेम्पल जिनकी टेस्टिंग में विलम्ब हो रहा है में गति प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र में ICMR के द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए अनुमोदित लेबोरेट्रीज़ पर भी उक्त टेस्टिंग कराई जा सकती है।

इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. टेस्टिंग ICMR के द्वारा अधिकृत निजी लेब से ही करवाई जायेगी।
2. प्रति टेस्टिंग के लिए अधिकतम 2500/- रुपय का भुगतान किया जायेगा। जिन अधिकृत लेब के संग्रहण केन्द्र(collection centre) राज्य में है वे भी टेस्ट कर सकेंगे।
3. राज्य में अधिकृत 2 निजी मेडिकल कॉलेज, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं आर.एम मेडिकल कॉलेज उज्जैन हैं जो कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है में भी उक्त नियत राशि में टेस्ट कराया जायेगा। यदि टेस्टिंग के लिए किट- RTPCR तथा RNA extraction स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता है तो 1500 रूपय प्रति टेस्ट की दर से भुगतान किया जायेगा।
4. उपरोक्त बिन्दु क्रमशः 2 एवं 3 में अधिकृत लेब को टेस्ट तभी दिया जायेगा जब शासकीय/ भारत सरकार की लेब में तत्समय टेस्ट लम्बित हो और शीघ्र रिर्पोट प्राप्त न करने की स्थिति उत्पन्न हो रही हो। अतः प्राथमिकता शासकीय संस्थाओं की लेब को दी जावेगी।
5. इसके अतिरिक्त् कोई भी निजी व्यक्ति ICMR द्वारा अधिकृत लेबोरेट्री पर कोविड-19 की टेस्टिंग लेब द्वारा निर्धारित दरों पर करा सकता है तथा संबंधित लेबोरेट्री में टेस्ट +ve पाये जाने पर संबंधित लेबोरेट्री ICMR द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
6. इस संबंध में ICMR द्वारा दिनांक 23/04/2020 को जारी अधिकृत निजी 87 लेबोरेट्री की सूची संलग्न है जिसको समय-समय पर ICMR द्वारा अद्यतन करा जावेगा।
7. उक्त राशि का भुगतान जिलों द्वारा संबंधित लेबोरेट्री को कोविड-19 के लिए प्रदत्त बजट से करा जायेगा।

24/4/20

(फैज अहमद किदवई)

स्वास्थ्य आयुक्त,

मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

क्रमांक

भोपाल, दिनांक /04/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव ।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
4. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner